उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-79/2021/139सी0एम0/26-3-2021
लखनऊ दिनांकः 18 मई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-176मंत्री/26-3-2020, दिनांक 23.10.2020 द्वारा प्रदेश के गोंड जाति की पर्याय धुरिया जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने विषयक जिलाधिकारी, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र को निर्देश दिये गये है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 23.10.2020 को शासनादेश की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु आईजीआरएस सन्दर्भ संख्या-15184210019977 द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्त के क्रम में सम्यक विचारोंपरान्त शासनादेश संख्या-176मंत्री/26-3-2020, दिनांक 23.10.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने का निर्णय लिया गया है।

संलग्नक-यथोक्त।

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

पृ0सं0- 79 /2021/139सी0एम0 (1)/26-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0,आयुक्त व सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

आवश्यक

संख्या–176मंत्री/26–3–2020

प्रेषक,

बी.एल. मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर,
देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया,
गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर व सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 23 अक्टूबर, 2020

विषयः **प्रदेश के गोंड जाति की पर्याय धुरिया जाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अवगत कराना है कि भारत सरकार के राजपत्र अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002 में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन जातियों की सूची में गोंड जाति की पर्याय धुरिया जाति जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर तथा सोनभद्र में सूचीबद्ध है। इस प्रकार प्रदेश की गोंड जाति की पर्याय धुरिया जाति कतिपय उक्त 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है।

2– शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के उक्त कतिपय 13 जनपदों में जिला प्रशासन द्वारा धुरिया जाति के व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को 1356 व 1359 फसली के आधार पर कहार पिछड़े वर्ग का बताते हुए अथवा जनपद में उक्त जाति के लोगों के नहीं पायें जाने का उल्लेख करते हुए बिना अभिलेखों की जांच पड़ताल करे गोंड जाति की पर्याय धुरिया जाति के लोगों के आवेदन पत्र को कहार अन्य पिछड़ा वर्ग का बताते हुए अथवा कहार की उपजाति बताते हुए निरस्त कर दिया जा रहा है, जिससे धुरिया अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को नियमानुसार अनुसूचित जनजाति का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

3– उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनगणना रिपोर्ट 1891 में कहार जाति के अन्तर्गत बाथम, बोट, धीवर, धुरिया, घरूक, गोडिया, जैसवार, कमकर, खरवार, महार, मल्लाह, रैकवार, रवानी, सिंघाड़िया, तुरैहा जाति दर्ज है, जिसमें कुछ जातियां अनुसूचित जाति, कुछ अनुसूचित जनजाति एवं कुछ अन्य पिछड़ा वर्ग में सूचीबद्ध है। चूंकि गोंड जाति की पर्याय धुरिया जाति उक्त जनपदों में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। अतः धुरिया जाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को सरकारी अभिलेख में दर्ज कहार के आधार पर प्रमाणित न करके बल्कि आवेदक के बारे में उसके समाज से यह जरूर पता किया जायें कि वह किस मूल जाति का है, जांच में वह जिस मूल जाति का सत्यापित हो उसी के अनुरूप नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायें। साक्ष्य के तौर पर आस–पास के निर्विवादित परिवारों से स्थलीय पूछताछ/जांच पड़ताल, कुटुम्ब रजिस्टर, शैक्षिक संस्थाओं विद्यालय की टी.सी./प्रमाण पत्रों, आदि को आधार बनायें, मात्र 1359, 1356 फसली के अभिलेखों के आधार पर ही निर्णय न लें।

भवदीय,

(बी.एल. मीणा)
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0–176मंत्री(1)/26–3–2020–तददिनांक–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अध्यक्ष, राजस्व परिषद उ0प्र0, आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0।
2– मण्डलायुक्त, बस्ती/गोरखपुर/आजमगढ़/वाराणसी/मिर्जापुर मण्डल।
3– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सचान)
अनुसचिव।

page-936

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।